रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML/2004.

# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## (असाधारण)

**हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित**

**शिमला, सोमवार, 29 नवम्बर, 2004/8 अग्रहायण, 1926**


### हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला

कारण बताओ नोटिस

धर्मशाला, 8 नवम्बर, 2004

स० पंच-के० जी० आर०-ई० (16) 54/91-9329-32.—इस कार्यालय को खण्ड विकास अधिकारी, इन्दौरा ने अपने कार्यालय पत्र सं० 845, दिनांक 10-9-2004 के अन्तर्गत सूचित किया है कि आप द्वारा ग्राम पंचायत धण्डरां के क्षेत्र की खडकानां नीलामी की द्वितीय किस्त रु० 45,000/- रुपये सम्बन्धित बोली-दाता से प्राप्त करके जमा पंचायत निधि में नहीं करवाई गई है जिससे स्पष्ट है कि आप द्वारा उक्त राशि का उपयोग किया गया है।

क्योंकि खण्ड विकास अधिकारी, इन्दौरा द्वारा भी आपको बार-बार लिखे जाने पर आप द्वारा उक्त राशि जमा नहीं करवाई गई।

2553-राजपत्र/2004-29-11-2004—1419. (2625) मूल्य : 1 रुपया।

अतः हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145 (2) तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 142(1) (क) के अन्तर्गत मैं, हेम राज शर्मा, जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला श्री शाम लाल, प्रधान, ग्राम पंचायत धण्डरां, विकास खण्ड इन्दौरा को कारण बताओ नोटिस जारी करता हूं। आपका उत्तर इस पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर-भीतर खण्ड विकास अधिकारी, इन्दौरा के माध्यम से इस कार्यालय में प्राप्त होना चाहिए अन्यथा मामले में आगामी कार्यवाही करने हेतु यह कार्यालय विवश होगा।

संलग्नक : दोषारोपण सूची।

धर्मशाला, 17 नवम्बर, 2004

संख्या पंच-के0जी0 आर0-ई0 (10) 5/91-9682.—श्री बलबीर सिंह, उप-प्रधान ग्राम पंचायत कलियाडा द्वारा आपके विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच, श्री चैन सिंह जिला अंकेक्षण अधिकारी, कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला द्वारा दिनांक 9-8-2004 को की गई जिसके अन्तर्गत आरोप सं0-1 अनुसार प्रधान ग्राम पंचायत कलियाडा द्वारा ग्राम सभा का शैल्फ अपनी मर्जी से बदला गया गया है, जिसके लिए प्रधान सक्षम नहीं थी। इस कार्य के लिये ग्राम सभा से अनुमोदन प्राप्त की जानी अनिवार्य थी।

इस प्रकार आप आरोप नं0 1 के लिये आप दोषी पाई गई हैं क्योंकि जांच रिपोर्ट अनुसार उपरोक्त तथ्य के आधार पर अपने कर्तव्यों के प्रति उपेक्षा का आरोप प्रकट हुआ है।

अतः हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 145 (2) तथा हि0 प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 142 (क) के अन्तर्गत मैं, हेम राज शर्मा, जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला श्रीमती सरस्वती देवी, प्रधान ग्राम पंचायत कलियाडा, विकास खण्ड रैत को कारण बताओ नोटिस जारी करता हुं कि इससे पूर्व कि आपके विरुद्ध आगामी कार्यवाही की जाये आपका उत्तर इस पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर-भीतर खण्ड विकास अधिकारी, रैत के माध्यम से इस कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए अन्यथा यह समझा जायेगा कि आपको पक्ष में कुछ भी नहीं कहना है।

संलग्नक : दोषारोपण सूचि।

हेम राज शर्मा,
जिला पंचायत अधिकारी।

---

कार्यालय उपायुक्त मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

अधिसूचना

मण्डी, 11 नवम्बर, 2004

संख्या पी0 सी0 एन0-एम0 एन0 डी0/2001-4899-4906. यतः जिला मण्डी की पंचायत समिति, चौन्तडा के उपाध्यक्ष का पद जो त्याग-पत्र के कारण रिक्त हुआ था, हेतु दिनांक 26-10-2004 को सम्पन्न हुये निर्वाचन के फलस्वरूप श्री मंजीव कुमार सुपुत्र श्री दमोदर दास निर्विरोध निर्वाचित हुये तथा निर्वाचन परिणाम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 85 के प्रारूप-42 पर घोषित किया जा चुका है।

अतः मैं, अली रजा रिजवी, उपायुक्त मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 126 तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम

124 के अनुसरण में जिला मण्डी की पंचायत समिति चौन्तडा के उपाध्यक्ष का नाम व पता निम्न प्रकार से अधिसूचित करता हूं :—

| क्र0 सं0 | नाम | पता |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | श्री संजीव कुमार सुपुत्र श्री दमोदर दास | गांव मोरतन, डाकघर लड-भड़ोल, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश । |

अली रजा रिजवी,
उपायुक्त,
मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ।

कार्यालय उपायुक्त शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

कारण बताओ नोटिस

शिमला-2, 16 नवम्बर, 2004

संख्या पी0 सी0 एच0-एस0 एम0 ए0 (दो बच्चे)/2002-12258-12262.—एतद्द्वारा श्रीमती बिनता देवी पंचायत समिति सदस्या, वार्ड नेरवा, विकास खण्ड चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश का ध्यान हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) खण्ड (ण) की ओर आकृष्ठ किया जाता है जो निम्नत: है ।

"(ण) यदि उसके दो से अधिक जीवित सन्तान है, परन्तु खण्ड (ण) के अधीन निरहर्ता उस व्यक्ति को लागू नहीं होगी जिसके यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, (संशोधित) 2000 के प्रारम्भ होने की तारीख पर या ऐसे आरम्भ के एक वर्ष की अवधि के पश्चात् और सन्तान पैदा नहीं होती है" ।

अत: क्योंकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 जोकि 8 जून, 2001 से लागू हो चुका है तथा धारा 122 के खण्ड (ण) के प्रावधान अनुसार 8 जून, 2001 के पश्चात् यदि किसी पंचायत पदाधिकारी के इस प्रावधान के लागू होने से पूर्व 2 से अधिक सन्तान है तथा उक्त प्रावधान के लागू होने के पश्चात् और अतिरिक्त सन्तानें/सन्तान पैदा होती है तो वह पंचायती राज संस्था में पदासीन रहने के अयोग्य होगा ।

यह कि खण्ड विकास अधिकारी चौपाल ने अपने पत्र संख्या सी0 बी0 आफ0 रिक्तियां/2004-1901, दिनांक 30-10-2004 द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया है कि आपके दिनांक 10-4-2004 को तीसरी सन्तान पैदा हुई है, जिसका इन्द्राज पंचायत के जन्म पंजीकरण रजिस्टर के क्रमांक 17/04, दिनांक 12-4-2004 में दर्ज है जो कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 122 (ण) के अन्तर्गत वर्णित अयोग्यता में आता है ।

त: मैं, एस0 के0 बी0 एस0 नेगी, उपायुक्त, शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 122 (2) तथा 131 (2) के प्रावधान अनुसार उक्त श्रीमती बिनता देवी, पंचायत समिति सदस्या, वार्ड नेरवा, विकास खण्ड चौपाल को निर्देश देता हूं कि वह इस कारण बताओ नोटिस की

प्राप्ति के 15 दिन के भीतर-भीतर लिखित रूप में अपना पक्ष प्रस्तुत करें कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के उक्त प्रावधान अनुसार पंचायत समिति नेरवा वार्ड के सदस्य पद को रिक्त घोषित कर दिया जाये । उनका उत्तर निर्धारित अवधि तक प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जायेगा कि उन्हें अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है तदोपरान्त उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी ।

एस0 के0 बी0 एस0 नेगी,
उपायुक्त,
शिमला, जिला शिमला (हि0 प्र0) ।

---

कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

सोलन, 18 नवम्बर, 2004

संख्या सोलन-3-92 (पंच)/III-9054-59.—क्योंकि खण्ड विकास अधिकारी कुनिहार, ने अपने पत्र संख्या के0 वी0 (पंच) 75/2001-3951, दिनांक 25 अक्तूबर, 2004 द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया है कि उनके विकास खण्ड में ग्राम पंचायत सारधा के पंच वार्ड नं0 1, श्री देवी चन्द ने तीसरा बच्चा पेदा होने के कारण अपने पद से त्याग-पत्र दिया है । त्याग-पत्र उक्त पत्र के साथ संलग्न है ।

अतः मैं, सम्पूर सिंह आजाद, जिला पंचायत अधिकारी सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 130 (1) तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम, 135 के अन्तर्गत विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये पंच पद को रिक्त घोषित करता हूं ।

सम्पूर सिंह आजाद,
जिला पंचायत अधिकारी सोलन,
जिला सोलन (हि0 प्र0) ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

## THIRTY FIRST AMENDMENT IN THE STATUTES OF DR. YASHWANT SINGH PARMAR UNIVERSITY OF HORTICULTURE AND FORESTRY STATUTES, 1987

[As assented to by the Chancellor (Governor, Himachal Pradesh) *vide* letter No. 45-3/75-GS-III dated 1st April, 2004.

### AN AMENDMENT

To amend the First Statutes of Dr. Yashwant Singh Parmar University of Horticulture and Forestry, Solan, Statutes, 1987.

(1) This amendment may be called the Dr. Yashwant Singh Parmar University of Horticulture and Forestry, Solan, Statutes 1987 (Thirty First amendment, 2004).

(2) It shall come into force with immediate effect.

(3) The following deletion/amendment shall be made in the Statute 4.5 (1) b (ii) and 4.6:

*Deletion of Statute* 4.5 (1) *b* (*ii*).—The provision of National Eligibility Test at Statute 4.5. (1) b (ii) shall stand deleted.

The existing provision of statute 4.6(3) (col.3) except proviso, shall stand substituted by the following provisions:—

1. Ph. D. degree in concerned subject relaxable to M. Sc. with consistently good academic record *i. e.* 55% marks in Master's level.

2. A relaxation of 5% from 55% to 50% of marks at Master's level shall be provided to SC/ST categories.

3. A relaxation of 5% will be provided from 55% of marks to the Ph. D. degree holders who have passed their master degree prior to September 1991.

4. Candidates should have qualified National Eligibility Test (in the particular discipline/subject) conducted by UGC, CSIR or similar test accredited by the UGC/ICAR.

5. B in the 7 point scale with letter grades, O,A,B,C,D,E & F shall be regarded as equivalent to 55% wherever the grading system is followed.

*Note*-1. A candidate having Ph. D./M. Phil. degree at the time of their recruitment are entitled for four and two (4/2) advance increments respectively.

D. Litt/D. Sc. will be given benefit at par with Ph. D. and M. Lit at par with M. Phil.

*Note*-2. Teachers who hold the M. Phil degree and acquire Ph. D. degree within two years of his recruitment shall be entitled for one increment.

Sd/-
*Registrar.*

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित